

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
मुकदमा नम्बर 159/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/308
भवरलाल पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी लोडेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर
निर्णय दिनांक 02.05.2024

बनाम
राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ ।
-प्रार्थी-

उपस्थिति:-

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

-अप्रार्थी-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 291 तादादी 9.0100 हैक्टेयर रोही डेलवा में स्थित है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2023 को प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई पाई गई है। उक्त दबी हुई भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर नयी सीमा मौके पर राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जानी है जिससे प्रार्थी की भूमि की सीमाएं बाद भी आज तक नयी सीमा सीमाज्ञान के अनुसार कायम नहीं की है प्रार्थी अपने खेत की राजस्व रिकार्ड के अनुसार सीमाएं कायम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई होने से आगे बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व नई सीमा कायम करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है इसलिए आज ही तहसीलदार को राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि रोही डेलवा में अवस्थित है जो श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत गत खसरा नम्बर 291 तादादी 9.0100 हैक्टेयर रोही डेलवा का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 291 तादादी 9.0100 हैक्टेयर रोही डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 291 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को 1000/-रु. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



3
(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर